चित्रकूट पुलिस

(1). मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

आज दिनाँक 26.10.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुम कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा (थाना मारकुंडी द्वारा ग्राम बंधा भीतर कीहुनिया के पास) स्थानों पर भ्रमण कर मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि

आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकान्त राय के मार्गदर्शन में थाना पहाड़ी पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण -

उल्लेखनीय है कि दिनांक 14.10.2026 को थाना क्षेत्रान्तर्गत निवासी एक वादी द्वारा थाना पहाड़ी पर सूचना दी गयी कि उनकी की पुत्री घर से पढ़ने के लिए गई थी जो वापस घर नही आई। इस सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 208/26 धारा 87 बीएनएस अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना से प्रकाश में आए अभियुक्त मोनू पुत्र बोडीलाल निवासी ओदहा थाना सरधुवा को गिरफ्तार किया गया।

विवेचक द्वारा पीड़िता को बरामद कर माननीय न्यायालय में अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस के तहत बयान दर्ज कराया गया। पीड़िता की बयान/मेडीकल के आधार पर मुकदमा उपर्युक्त में धारा 87 बीएनएस का लोप कर धारा 137(2), 64(1) व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गयी। ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ0नि0 कैलाश सिंह
2. हे0का0 ज्ञानस्वरूप मिश्रा

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अभयराज सिंह के मार्गदर्शन में निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव व उनकी टीम ने युवती को शादी की झांसा देकर बलात्कार व अश्लील वीडियो/फोटो वायरल करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली कर्वी अन्तर्गत एक वादिया द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पर सूचना दी गयी थी कि अभियुक्त शनि कुमार पुत्र कमतू द्वारा वादिया की पुत्री को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने,अश्लील वीडियों/फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करके जेवरात व नकदी हड़पने,50 हजार रूपये की उगाही का प्रयास करने,गाली गलौज करने,मानसिक उत्पीड़न करके पीड़िता को आत्महत्या के लिए विवश करना। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0- धारा 69,352,351(3),308 बीएनएस व 67बी, आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना पीडिता का बयान माननीय न्यायालय में अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस कराए गए। दिनाँक 25.10.2026 को निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव व उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी अभियुक्त शनि कुमार पुत्र कामतू उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव
2.उ0नि0 श्री राजेश कुमार
3.आरक्षी कृष्ण कुमार सिंह

(4). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकांत राय एवं पैरोकार आरक्षी अबरार हुसैन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी प्रभाष रंजन गुप्ता द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डि0 श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनाँक 26.10.2026 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 244/2016 धारा 323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त संतोष पुत्र छोटा निवासी लोहदा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 3500/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।